न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23/2019

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		जगदीश पुत्र धुधलाराम जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर (मैसर्स अम्बे केटरींग सर्विस शास्त्री नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गौरव खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.04.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी **मैसर्स अम्बे केटरींग सर्विस शास्त्री नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर** की केंटीन स्थल राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **11.12.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** जो कि एक टिन में लगभग 10 किग्रा भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 किग्रा घी (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–998** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी को परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.01.2019** मे उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं किन्तु बहस के दौरान प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वेल्यू में बहुत ही न्यून अन्तर आया है तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार B.R.R. of extracted fat at 40°C पर मानक स्तर 40--43 के मुकाबले में 44.87 पाया गया है जो कि यद्यपि न्यून अन्तर पाया गया हैं एवं Reichert Value कम से कम 26.0 होना चाहिए के स्थान पर 14.49 पाया गया। अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ की निर्धारित मानकता के संबंध में अनभिज्ञता [illegible] है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये [illegible] के प्रति [illegible] जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि किसी अन्य [illegible] से खाद्य पदार्थ क्रय करने के बाद अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 50,000/- अक्षरे रूपये पचास हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested